स्पीड पोस्ट द्वारा

मिसिल सख्या पृविमं/29/182/2017-आरटीआई
भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

पृथ्वी भवन, आई एम डी परिसर,
लोधी रोड़, नई दिल्ली,
दिनांक 05 /03/2018

सेवा में,

श्री गिरीश कृष्णनन,
167, पौकिट -9 नासिर पुर द्वारका,
न्यू डेल्ही-45

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम घारा 2005 के तहत श्री गिरीश कृष्णनन, 167, पौकिट -9 नासिर पुर द्वारका, न्यू डेल्ही-45 dated 25/01/2018 को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु

महोदय

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन के संदर्भ में अवलोकन करें।

2. मंत्रालय के संबंधित अधिकारी द्वारा आपकी सूचना पृ वि मं 31/07/2018-Genl. दिनांक 0/02/2018 के ज़रिये उपलब्ध कराई है, जिसकी प्रति आपको सूचनार्थ संलग्न है।

3 यदि आप इस जवाब के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं, तो आप इस पत्र के प्राप्त होने से 30 दिनों के अन्दर मंत्रालय के निदेशक तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को निम्न पते पर अपील कर सकते हैं :-

श्री रिशी कुमार,
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी,
पृथ्वी भवन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय,
भारतीय मौसम विभाग परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली -3

भवदीय,

(इ . हक)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं वैज्ञानिक सी'
दूरभाष नं. 24669521

सूचनार्थ प्रतिलिपि:-

1 निदे॰ & प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली।
2 डॉ एन खरे, वैज्ञानिक 'G' पारदर्शिता अधिकारी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली।
3 पीएस, संयुक्त सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. IT Incharge to upload - MOES

MoES/31/07/2018 -Genl.
Government of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

Prithivi Bhavan/ पृथ्वी भवन
Lodhi Road. New Delhi/ लोदी रोड, नई दिल्ली
Date/दिनांक: /02/2018

आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री गिरीश कृष्णनन, 167 पोकिट 9, नासिरपुर, द्वारका, नई दिल्ली – 110045, द्वारा मांगी गई सूचना.

कृपया सीपीआईओ अपने दिनांक 29/01/2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या पृ0वि0मं0/29/182/2017- आरटीआई का संदर्भ ले जिसके साथ श्री गिरीश कृष्णनन से आर.टी.आई. आवेदन की की प्रति प्राप्त हुई थी।

2. सामान्य अनुभाग के संबंध में अपेक्षित सूचना इस प्रकार से हैं:-

| क्र0 सं0 | प्रश्न | उत्तर | |
|---|---|---|---|
| 1. | अभी हाल में में जो सुरक्षा व्यवस्था का टेंड़र किया गया। वह किस आधार पर किया गया था GeM या Open Tender बताया जायें। | GeM के माध्यम सें। | |
| 2. | कुल कितने सुरक्षा कर्मी इस टेंड़र में लगाये गयें हैं। अलग अलग विवरण दें।<br>(1) गनमैंन<br>(2) सुपरवाइजर<br>(3) सुरक्षाकर्मी | (1) गनमैंन<br>(2) सुरक्षाकर्मी | 05 No.<br>15 No. |
| 3. | क्या यह टेंड़र Ex-serviceman कर्मचारियों कें लियें आरक्षित हैं या सामान्य वर्ग के लोगों को इसमें नौकरी मिलती है कृपया नोट सीट की कोपी प्रदान करें। | GeM के माध्यम सें कार्य आदेश देने के दौरान इस संबंध में गठित समिति ने यह निर्णय लिया था कि सभी सुरक्षा गार्ड पूर्व सैनिक होने चाहिए। | |
| 4. | जो भी सुरक्षाकर्मी रखें गयें हैं उनकी योग्यता व अनुभव का क्या Criteria रखा गया हैं कृपया विवरण दें। | GeM के माध्यम सें कार्य आदेश देने के लिए एक समिति गठित की गई थी तथा समिति के सुझावों के आधार पर सुरक्षाकर्मियो की योग्यता व अनुभव का मानदंड पूर्व सैनिक होना निश्चित किया गया। | |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | यदि सभी सुरक्षाकर्मी Ex-serviceman हैं तो उनकी लोग बुक अथवा कोई भी पुरूफ (Proof) की कोपी प्रदान किया जायें ताकि यह पता लग सके कि यह सभी सुरक्षाकर्मी Ex-serviceman हैं। | यह विषय विनिर्दिष्ट छूट के अन्तर्गत आता हैं।<br>आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के 8(J) के तहत सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित हैं, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता हैं या जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकरी का यह समाधान नहीं हो जाता हैं कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित हैं। |
| 6. | क्या जो गनमैन आपके भवन की सुरक्षा में लगें हैं उनके पास जो लाइसेन्स हैं क्या वह दिल्ली में Valid हैं लाइसेन्स की कोपी प्रदान करें। | सुरक्षा एजेन्सी को GeM के माध्यम सें कार्य आदेश दिया गया हैं तथा मंत्रालय का पता दिल्ली का हैं।इसलिए दिल्ली क्षेत्र में कार्यरत एजेन्सी को GeM के माध्यम सें कार्य आदेश दिया गया हैं। |
| 7. | जो महिला सुरक्षाकर्मी आपकी Ministry में लगाई गई हैं क्या वह Ex-serviceman हैं यदि नहीं तो किस आधार पर वह किसकी परमिसन से नौकरी कर रहीं हैं कृपया नोट सीट की कोपी प्रदान करें। | मंत्रालय में कम से कम एक महिला महिला सुरक्षाकर्मी की आवश्यकता हैं तथा सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से महिला सुरक्षाकर्मी को मंत्रालय में तैनात किया गया हैं। |
| 8. | क्या सभी सुरक्षाकर्मियों की Attendance Bio – Matric हैं, यदि नहीं तो उसका कारण बताइये। | सभी सुरक्षाकर्मियों की Attendance Bio – Matric हैं। |
| 9. | सभी सुरक्षाकर्मी का वेतन और ESI, EPF तथा उन्हें दी जाने वाली सैलरी जो आपने सत्यापन की हैं। | फर्म द्वारा वेतन, ESI, EPF की पुर्ण जानकारी देने के उपरांत ही भुगतान किया जायेंगा। सुरक्षाकर्मियों का भुगतान मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया हैं। |

3. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को इसके अनुसार आवेदनकर्ता को सूचित करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

4. यह निदेशक (सा0 प्रा0) के अनुमोदन से जारी किया गया हैं।

**नोट**:- संबंधित जानकारी के संबंध में पेपरों की जॉच हेतु आवेदनकर्ता मंत्रालय में सूचित करकें आ सकते हैं।

मं. डेनियल
28/2/2018
(Manjula Daniel/ मंजुला डैनियल)
Under Secretary to the Government of India/अवर सचिव, भारत सरकार

श्री ई हक, वैज्ञानिक 'सी'/CPIO

Please forward to the Applicant

28/2/18

Sh. Meera